<u>न्यायालय माननीय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र.</u>

निग - 4061 - पीबीआर-15

सुरेश पिता शंकरलाल चौधरी

निवासी ग्राम बायखेडा तह.व जिला धार म.प्र.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अजय श्रीवास्तव ....निगरानीकर्ता
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 05-12-2015
को प्रस्तुत।

बनाम

म.प्र. शासन

1726/05-12-2015

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

प्रतिनिगरानीकर्ता

<u>निगरानी अर्ज धारा 50 भू रा.सं. 1959 अनुसार</u>

<u>" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व क्षेत्र धार के रा.प्र.क. 16/15–16/अपील सुरेश पिता शंकरलाल चौधरी विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित अंतरिम आदेश धारा 52 भू रा.सं. के आवेदन पत्र अपास्ती आदेश दिनांक 09/10/2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई हैं।</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4061-पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-10-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक की ओर से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर मकान बनाकर एवं फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है, इसलिए सुवधि का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	